

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 777]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2015/अग्रहायण 20, 1937

No. 777]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2015/ AGRAHAYANA 20, 1937

वस्त्र मंत्रालय

(केन्द्रीय रेशम बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2015

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (प्रशासनिक लेखा व सामान्य संवर्ग पद), भर्ती नियम, 2015

सा.का.नि. 963 (अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा-13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय रेशम बोर्ड (समेकित), भर्ती नियम, 1989 को, जहाँ तक उनका संबंध मुख्य लेखा अधिकारी और लेखा-परीक्षा अधिकारी, उप सचिव (प्रशासन), उप निदेशक (प्रचार), उप सचिव (लागत), सहायक निदेशक (सांख्यिकी), लेखा और लेखा-परीक्षा अधिकारी, सहायक सचिव (प्रशासन), संपादक, ज्येष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष, हिन्दी अधिकारी, अधीक्षक, अधीक्षक (प्रचार), ज्येष्ठ सांख्यिकी, सांख्यिकी, सहायक अधीक्षक, रिपोर्टर, सहायक अधीक्षक (प्रचार), पुस्तकालयाध्यक्ष, ज्येष्ठ अनुवादक (हिन्दी), सहायक, पुस्तकालय सहायक, आशुलिपिक, प्रचार सहायक, सांख्यिकी सहायक, किन्छ अनुवादक (हिन्दी), ज्येष्ठ कलाकार या ज्येष्ठ फोटोग्राफर, ज्येष्ठ मैकेनिक, बस या ट्रक ड्राइवर, उच्च श्रेणी लिपिक, किन्छ आशुलिपिक, कलाकार या फोटोग्राफर, अवर श्रेणी लिपिक, ड्राइवर, तकनीशियन, रसोइया, सहायक तकनीशियन, मददगार (हेल्पर), परिचारक (एटेंडर), चौकीदार और सफाईवाला के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड में प्रशासनिक, लेखा और साधारण काडर के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रेशम बोर्ड (प्रशासनिक, लेखा और साधारण काडर पद), भर्ती नियम 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
 - 2. लागू होना- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ-1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- **3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतन मान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 से स्तम्भ-4 में विनिर्दिष्ट हैं।

5199 GI/2015 (1)

4. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बाते वे होंगी, जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-5 से स्तम्भ-13 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति-

- (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ii) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी।

- **6. शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष संवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची पद की संख्या वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड सीधे भर्ती किए पद का नाम चयन या अचयन वेतन या वेतनमान जाने वाले व्यक्तियों पद के लिए आयु-सीमा 2 3 1 4 5 1. संयुक्त निदेशक वेतन बैंड-3 लागू नहीं होता 2* समूह-क, चयन अनुसचिवीय (प्रशासन) 15600-39100 `+ (2015)*कार्यभार के ग्रेड वेतन 7600 ` आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सीधी भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे
वाले व्यक्तियों के लिए	व्यक्तियों के लिए विहित आयु		होगी या प्रोन्नति/ आमेलन द्वारा
अपेक्षित शैक्षिक और	और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत		तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा
अन्य अर्हताएँ	व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी		भरी जाने वाली रिक्तियों की
	या नहीं		प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
			पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो	यदि सीधी भर्ती के लिए चयन
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	उसकी संरचना	समिति है तो उसकी संरचना
11	12	13
प्रोन्नति:	1. सदस्य-सचिव - अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
ऐसे उप-निदेशक (प्रशासन और लेखा) में से जिन्होंने उस श्रेणी	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	
में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।	2. संयुक्त सचिव या - सदस्य	
टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने	निदेशक या उप सचिव,	
अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए	वस्त्र मंत्रालय	
विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से - सदस्य	
भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की	एक निदेशक	
गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा		
के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम		

न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी.-

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3; 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 6600 ` या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंर्तगत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

1	2	3	4	5	6
2. संयुक्त निदेशक	1*	समूह-क,	वेतन बैंड-3	चयन	लागू नहीं होता
(वित्त)	(2015)	अनुसचिवीय	15600-39100`		
	*कार्यभार के आधार		+ ग्रेड वेतन 7600 `		
	पर परिवर्तन किया				
	जा सकता है।				

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12	13
प्रोक्ततः ऐसे उप-निदेशक (वित्त) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति: (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3; 15600-39100 `+ग्रेड वेतन 6600 `या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने किए जाने सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने सिधा परित सिधा परित सिधा परित सिधा सिधा परित सिधा सिधा पर	12 1. सदस्य-सचिव - अध्यक्ष केन्द्रीय रेशम बोर्ड 2. संयुक्त सचिव या - सदस्य निदेशक या उप सचिव, वस्त्र मंत्रालय 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से - सदस्य एक निदेशक	नागू नहीं होता ।
साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-
सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक
नहीं होगी।

िटप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

1	2	3	4	5	6
3. संयुक्त निदेशक	1*	समूह-क,	वेतन बैंड-3	चयन	लागू नहीं होता
(प्रचार)	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	15600-39100`		
	*कार्यभार के आधार		+ ग्रेड वेतन 7600 `		
	पर परिवर्तन किया जा सकता है।				

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12	13
प्रोम्नति :	1. सदस्य-सचिव - अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
ऐसे उप-निदेशक (प्रचार) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	
नियमित सेवा की है।	2. संयुक्त सचिव या 🕒 सदस्य	
टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी	निदेशक या उप सचिव,	
अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया	वस्त्र मंत्रालय	
जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से - सदस्य	
जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या	एक निदेशक	
पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या		
दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे		
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले		
ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी		
परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।		
टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के		
प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले		
या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों		
पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,		
नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक		
से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या		
वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ		
केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन		
या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है,		
उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी		

ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,-

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3; 15600-39100 `+ ग्रेड वेतन 6600 ` या समत्ल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतगत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

िटप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख़ से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

1	2	3	4	5	6
4. संयुक्त निदेशक	1*	समूह-क,	वेतन बैंड-3	लागू नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं
् (उद्यम संवर्धन	(2015)	गैर-	15600-39100 `	होता	`
(उद्यम सवर्धन कक्ष)	(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	गैर- अनुसचिवीय	15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 7600 `	हाता	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी। (न कि वह अंतिम
					तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा

		चंबा जिले के पांगी उपखंड,
		अंडमान और निकोबार द्वीप या
		लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए
		विहित की गई है) ।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन में मास्टर	लागू नहीं होता	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
डिग्री और जिसके पास किसी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग			
या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में विपणन या			
वस्त्र या उद्यम विकास में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो ।			
टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में			
केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।			
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के			
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के			
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के			
किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए			
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले			
उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			
सम्भावना नहीं है।			

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. सदस्य-सचिव,केन्द्रीय रेशम बोर्ड - अध्यक्ष
		2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
		से सुसंगत विषय का एक आचार्य - सदस्य
		3. वस्त्र मंत्रालय के संयुक्त सचिव या निदेशक
		या उप सचिव - सदस्य
		4. भारतीय प्रबन्ध संस्थान से सुसंगत विषय का
		एक आचार्य - सदस्य

1	2	3	4	5	6
5. उप निदेशक	10*	समूह-क,	वेतन बैंड-3	चयन	लागू नहीं होता
(प्रशासन और	(2015)	अनुसचिवीय	15600-39100`		
लेखा)	*कार्यभार के आधार पर		+ग्रेड वेतन 6600 `		
	परिवर्तन किया जा				
	सकता है।				

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
			पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12	13
प्रोन्नति :	5. सदस्य-सचिव	लागू नहीं होता ।
ऐसे सहायक निदेशक (वित्त और लेखा) जिन्होंने उस	केन्द्रीय रेशम बोर्ड -अघ्यक्ष	
श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है ।	1. संयुक्त सचिव या	
टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में	निदेशक या उप सचिव,	
जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	वस्त्र मंत्रालय – सदस्य	
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा		
परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या	एक निदेशक – सदस्य	

पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,-

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं;

या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3; 15600-39100 `+ ग्रेड वेतन 5400 ` या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंर्तगत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख़ से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ

यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित	
होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी	
उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन	
आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित	
तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा	
समझी जाएगी।	

1	2	3	4	5	6
6. उप निदेशक	1*	समूह-क,	वेतन बैंड-3	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं
(वित्त)	(2015)	अनुसचिवीय	15600-39100`		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी
	*कार्यभार के		+ ग्रेड वेतन 6600 `		् किए गए अनुदेशों या
	आधार पर				आदेशों के अनुसार सरकारी
	परिवर्तन किया				सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक
	जा सकता है।				शिथिल की जा सकती है) ।
					टिप्पण :
					आयु-सीमा अवधारित करने
					के लिए निर्णायक तारीख़
					भारत में अभ्यर्थियों से
					आवेदन प्राप्त करने के लिए
					नियत की गई अंतिम तारीख़
					होगी । (न कि वह अंतिम
					तारीख़ जो असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम,
					मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, जम्मू व कश्मीर
					राज्य के लद्दाख खंड,
					हिमाचल प्रदेश के लाहोल
					तथा स्पीति जिले तथा चंबा
					जिले का पांगी उपखंड,
					अंडमान और निकोबार द्वीप
					या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के
					लिए विहित की गई है) ।

7	8	9	10
आवश्यक :	लागू नहीं होता	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री जो भारतीय चार्टर्ड			
एकाउंटेंट संस्थान की सदस्यता रखता हो और जिसके पास किसी सरकारी			
विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा किसी उच्चतर कोटि के			
रजिस्ट्रीकृत कंपनी के वित्त में न्यूनतम पाँच वर्ष का पश्च अर्हता अनुभव			
हो।			
वांछनीय :			
जिनके पास कंप्यूटरीकृत लेखा का ज्ञान हो।			
टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय			
सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।			
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार			
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में			
तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय			
सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए			
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या			
में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।			

11	12	13	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. सदस्य-सचिव,	
		केन्द्रीय रेशम बोर्ड	– अघ्यक्ष
		2. महालेखाकार के कार्यालय से	
		एक उप महालेखाकार	– सदस्य
		3. निदेशक या उप सचिव,	
		वस्त्र मंत्रालय	- सदस्य
		4. भारतीय प्रबन्ध संस्थान या मान्यता प्राप्त	
		विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय का एक आचार्य	- सदस्य

1	2	3	4	5	6
7. उप निदेशक	1*	समूह-क,	वेतन बैंड-3 15600-39100 `	चयन	लागू नहीं होता
(प्रचार)	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	+ग्रेड वेतन 6600 `		
	*कार्यभार के आधार				
	पर परिवर्तन किया				
	जा सकता है।				

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
			पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12		13
प्रोन्नति :	1. सदस्य-सचिव		लागू नहीं होता
ऐसे सहायक निदेशक (प्रचार) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	– अघ्यक्ष	
नियमित सेवा की है।	2. संयुक्त सचिव या		
टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने	निदेशक या		
अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में	उप सचिव,		
भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की	वस्त्र मंत्रालय	– सदस्य	
गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से		
के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम	एक निदेशक	– सदस्य	
	3		
न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने			
ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली			
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि			
सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।			
टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम् अर्हक सेवा की संगणना			
करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी,			
2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन			
आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना			
का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा			
को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित			
वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी			
में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन			
पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान			
बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन			
आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड			
वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।			

प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,-

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3; 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 5400 ` या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंर्तगत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख़ से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

1	2	3	4	5	6
8. उप निदेशक	2* (2015)	समूह-क,	वेतन बैंड-3	चयन	लागू नहीं
(राजभाषा)	*कार्यभार के आधार पर	गैर-अनुसचिवीय	15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 6600 `		होता ।
	परिवर्तन किया जा				
	सकता है।				

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
			पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12	13
प्रोम्नति :	1. सदस्य-सचिव	लागू नहीं होता
ऐसे सहायक निदेशक (राजभाषा) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष	 केन्द्रीय रेशम बोर्ड – अघ्यक्ष	
नियमित सेवा की है ।		
टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक	2. संयुक्त सचिव या	
या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा	निदेशक या	
हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा	उप सचिव,	

परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियक्ति:

केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,-

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं;
- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3; 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 5400
- े या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंत्रीगत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख़ से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

वस्त्र मंत्रालय – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – सदस्य

9. पुस्तकालय और 1* समूह-क, वेतन बैंड-3 चयन लागू न	
सूचना अधिकारी कार्यभार के गैर-अनुसचिवीय 15600-39100`+ आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	हीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
			पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12	13
प्रोन्नति :	1. सदस्य-सचिव	लागू नहीं होता ।
ऐसे सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी जिन्होंने	केन्द्रीय रेशम बोर्ड – अघ्यक्ष	
उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है।	2. संयुक्त सचिव या	
टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के	निदेशक या	
लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों	उप सचिव,	
के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि	वस्त्र मंत्रालय – सदस्य	
उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – सदस्य	
अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,		
इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे		
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता		
सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में		
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक		
पूरी कर ली हो ।		
टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की		
संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे		
जनवरा, 2006 सं पहल या उस ताराख़ सं जिसस छठ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित		
पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,		
ि नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के,		
जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण		
ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया		
है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर		
विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान		
बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त		
वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित		
तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी		
जाएगी।		
प्रतिनियुक्तिः		
केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,-		
(i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए		
हुए हैं;		
या		
(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3; 15600-39100 ` + ग्रेड		
वेतन 5400 `या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित		

सेवा की है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंर्तगत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

1	2	3	4	5	6
10. उप निदेशक	1*	समूह-क,	वेतन बैंड-3	चयन	लागू नहीं होता
(सांख्यिकी)	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	15600-39100 `+		
	* कार्यभार के		ग्रेड वेतन 6600 `		
	आधार पर परिवर्तन				
	किया जा सकता है।				

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
			पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12	13
प्रोन्नति :	1. सदस्य-सचिव	लागू नहीं होता ।
ऐसे सहायक निदेशक (सांख्यिकी) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष	 केन्द्रीय रेशम बोर्ड – अघ्यक्ष	
नियमित सेवा की है ।		
टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी	2. संयुक्त सचिव या	
अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार	निदेशक या	
किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार	उप सचिव,	
किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक	वस्त्र मंत्रालय – सदस्य	
या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से	
से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने	एक निदेशक – सदस्य	

अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी.-

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3; 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 5400 ` या समतल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंर्तगत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख़ से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

1	2	3	4	5	6
11. सहायक	37*	समूह-क,	वेतन बैंड -3	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं
निदेशक	(2015)	अनुसचिवीय	15600-39100`	(सीधे भर्ती किए	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी
(प्रशासन और	*कार्यभार के आधार		+ग्रेड वेतन 5400 `	जाने वाले	किए गए अनुदेशों या आदेशों

			-0.370	2 2 2 2 2
लेखा)	पर परिवर्तन किया		व्यक्तियों के लिए	के अनुसार सरकारी सेवकों के
	जा सकता है।		लागू नहीं होता)	लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की
			•••	जा सकती है) ।
				टिप्पण :
				आयु-सीमा अवधारित करने के
				लिए निर्णायक तारीख़ भारत में
				अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने
				के लिए नियत की गई अंतिम
				तारीख़ होगी । (न कि वह
				अंतिम तारीख़ जो असम,
				मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
				मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,
				त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर
				राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल
				प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति
				जिले तथा चंबा जिले के पांगी
				उपखंड, अंडमान और निकोबार
				द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों
				के लिए विहित की गई है) ।

7	8	9	10
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकांउटेंट्स ऑफ इंडिया से प्रारंभिक	लागू नहीं होता	दो वर्ष	अस्सी प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा;
परीक्षा-l सहित चार्टड एकाउंटेंसी के साथ वित्त में एक वर्ष			और बीस प्रतिशत सीधी भर्ती
का अनुभव या वाणिज्य में मास्टर डिग्री के साथ सरकारी			द्वारा
विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या रजिस्ट्रीकृत			
कंपनियों में लेखा और वित्त का पाँच वर्ष का अनुभव ।			
टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में			
केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।			
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता केंद्रीय सरकार के			
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों			
के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब			
चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि			
उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित			
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त			
संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।			

11	12	13
प्रोच्चि: ऐसे अधीक्षक (प्रशासन) में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) – सदस्य	त. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक — अघ्यक्ष उप सचिव या अवर सचिव, वस्त्र मंत्रालय — सदस्य उ. महालेखाकार के कार्यालय से एक उप महालेखाकार — सदस्य

अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है,
अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी
परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली
हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिस्थापन	ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग	की						
सिफ़ारिशों प	सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड							
वेतन या वेतन	ामान में की गई सेवा समझी जाएग	î ।						
1	2	3	4	5	6			
12.	2*	समूह-क,	वेतन बैंड -3	चयन	लागू नही होता			
सहायक	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	15600-39100 ` +ग्रेड					
निदेशक	*कार्यभार के आधार पर		वेतन 5400 `					
(प्रचार)	परिवर्तन किया जा सकता है।							

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

11	12		13
प्रोन्नति :	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक	– अघ्यक्ष	लागू नहीं होता
ऐसे अधीक्षक (प्रचार) में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन	े 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर के एक		
वर्ष नियमित सेवा की है।			
टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में	संयुक्त निदेशक या उप निदेशक	– सदस्य	
जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से		
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे	एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या		
ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा	उप निदेशक (प्रशासन और लेखा)	– सदस्य	
परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या	(
पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से			
अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न			
हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,			
जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर			
ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी			
परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।			
टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की			
संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी			
द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से			
जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर			
आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया			
गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय			

जहाँ एक से अधिक पर्व पनरीक्षित

उस दशा के, जहां एक से आधक पूर्व पुनराक्षित	
वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित	
एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ	
केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके	
लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का	
साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की	
सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड	
वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।	

1	2	3	4	5	6
13. सहायक	6*	समूह-क,	वेतन बैंड -3	चयन	लागू नही होता
निदेशक	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	15600-39100 ` +ग्रेड		
(राजभाषा)	* कार्यभार के आधार		वेतन 5400 `		
	पर परिवर्तन किया जा				
	सकता है।				

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
प्रोक्ति : ऐसे ज्येष्ठ अनुवादक (हिन्दी) में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन मान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतन मान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन मान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़रिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतन मान में की गई सेवा समझी जाएगी।	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक - अघ्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक - सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
14. सहायक	9*	समूह-क,	वेतन बैंड-3	चयन	लागू नही होता
निदेशक (सांख्यिकी)	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	15600-39100`		
	*कार्यभार के आधार		+ग्रेड वेतन 5400 `		
	पर परिवर्तन किया				
	जा सकता है।				

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

11	12		13
प्रोन्नति :	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से		लागू नहीं
ऐसे ज्येष्ठ सांख्यिकी में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित	एक निदेशक	– अघ्यक्ष	
सेवा की है। िटपण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। िटपण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।	2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक (प्र उप निदेशक (प्रशासन और लेखा)	– सदस्य	

1	2	3	4	5	6
15. सहायक	1*	समूह-क,	वेतन बैंड -3	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं
निदेशक (रेशम	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	15600-39100`		(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी
उत्पादन प्रबन्ध)	*कार्यभार के		+ग्रेड वेतन 5400 `		किए गए अनुदेशों या आदेशों
	आधार पर				के अनुसार सरकारी सेवकों के
	परिवर्तन किया जा				लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की
	सकता है।				जा सकती है) ।
					टिप्पण :
					आयु-सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख़ भारत
					में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त
					करने के लिए नियत की गई

		अंतिम तारीख़ होगी। (न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और
		उपखड, अडमान आर निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

^{*} इस पद पर आसन्न पदधारी के पद या सेवा छोड़ने की तारीख से यह पद समाप्त हो जाता है ।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रबंधकीय	लागू नहीं होता	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री के			
साथ किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या			
संस्था में अध्यापन का पाँच वर्ष का अनुभव ।			
टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों			
की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार			
शिथिल की जा सकती है ।			
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता केन्द्रीय सरकार			
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित			
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल			
की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर			
केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए			
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित			
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के			
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं			
है।			

11	12	13	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक	– अघ्यक्ष
		2. उप सचिव या अवर सचिव, वस्त्र मंत्रालय	– सदस्य
		3. भारतीय प्रबन्ध संस्थान या मान्यता प्राप्त	
		विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय का एक आचार्य	– सदस्य

1	2	3	4	5	6
16.छात्रावास	1*	समूह-क,	वेतन बैंड -3	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं
प्रबन्धक	(2015)	गैर-	15600-39100 `+ग्रेड		(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी
	*कार्यभार के आधार पर	अनुसचिवीय	वेतन 5400 `		किए गए अनुदेशों या आदेशों
	परिवर्तन किया जाता				के अनुसार सरकारी सेवकों के
	है।				लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की
					जा सकती है) ।
					टिप्पण :
					आयु-सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख़ भारत
					में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त
					करने के लिए नियत की गई

		अंतिम तारीख़ होगी। (न कि
		वह अंतिम तारीख़ जो असम,
		मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
		मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,
		त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर
		राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल
		प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति
		जिले तथा चंबा जिले के पांगी
		उपखंड, अंडमान और
		निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के
		अभ्यर्थियों के लिए विहित की
		गई है)।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या कला या वाणिज्य	लागू नहीं होता	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
में बैचलर डिग्री के साथ खानपान और होटल प्रबंध में स्नातकोत्तर			
डिप्लोमा सहित पंजीकृत होटल या छात्रावास प्रबध में न्यूनतम			
तीन वर्ष का अनुभव हो ।			
टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय			
सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।			
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार			
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की			
दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर			
केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों			
को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के			
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

11	12	13	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक	– अघ्यक्ष
		2. उप सचिव या अवर सचिव, वस्त्र मंत्रालय	– सदस्य
		3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक उप निदेशक	– सदस्य

1	2	3	4	5	6
17. अधीक्षक	54*	समूह-ख,	वेतन बैंड-2	अचयन	लागू नहीं होता
(प्रशासन)	(2015)	अनुसचिवीय	9300-34800 `+ ग्रेड		
	* कार्यभार के आधार पर		वेतन 4600 `		
	परिवर्तन किया जा सकता है।				

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
प्रोन्नति :	 केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अघ्यक्ष 	लागू नहीं
ऐसे सहायक अधीक्षक (प्रशासन) और आशुलिपिक श्रेणी-1 में से जिन्होंने सम्मिलित ज्येष्ठता के आधार पर उस श्रेणी में पाँच वर्ष	2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या	होता।
नियमित सेवा की है और जिन्होंने न्यूनतम चालीस प्रतिशत	उप निदेशक – सदस्य	
अंक प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा संचालित पर्यवेक्षी स्तर का	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से	
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण किया हो (अनुसूचित जातियों या	एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या	
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतीस प्रतिशत		

अंक) ।

टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

-	उप निदेशक (प्रशासन	और लेखा)	– सदस्य	
Γ				
, ,				
Ī				
Ī				
Г				
Γ				
Γ				
Ī				
ī				
Γ				
Ī				
Г				
Γ				
Ī				
Ī				
Γ				
-				

1	2	3	4	5	6
18. अधीक्षक	2*	समूह-ख,	वेतन बैंड-2	अचयन	लागू नहीं होता
(प्रचार)	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	9300-34800 ` + ग्रेड वेतन		
	*कार्यभार के आधार		4600 `		
	पर परिवर्तन किया				
	जा सकता है।				

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
प्रोन्नति :	 केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अघ्यक्ष 	लागू नहीं होता।
ऐसे सहायक अधीक्षक (प्रचार) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।	2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक	
टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने	संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य	
अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक	
लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों	(प्रशासन) या उप निदेशक	
के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि	(प्रशासन और लेखा) – सदस्य	
उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित	(,	
अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,		
इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे		
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता		
सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में		
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक		
पूरी कर ली हो ।		

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

1	2	3	4	5	6
19. ज्येष्ठ अनुवादक	6*	समूह-ख,	वेतन बैंड-2	अचयन	लागू नहीं होता
(हिन्दी)	(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	गैर- अनुसचिवीय	9300-34800 ` + ग्रेड वेतन 4600 `		

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12		13
प्रोन्नति :	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक	– अघ्यक्ष	लागू नहीं ।
ऐसे कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) में से जिन्होंने उस श्रेणी में	2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक		
पाँच वर्ष नियमित सेवा की है ।	संयुक्त निदेशक या उप निदेशक	– सदस्य	
टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किन्छ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने	ु 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से		
अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के	एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या		
लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि			
उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित	उप निदेशक (प्रशासन और लेखा)	– सदस्य	
, , ,			
अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,			
इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे			
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा			
पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के			
लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली			
हो।			
टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना			
करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी,			
2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन			
आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन			
संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की			
गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व			
पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान			
सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ			
केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए			

ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

1	2	3	4	5	6
1 20. सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	2 1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	3 समूह-ख, गैर-अनुसचिवीय	4 वेतन बैंड-2 9300-34800 ` + ग्रेड वेतन 4600 `	5 अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12		13
प्रोन्नति :	1.केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक	– अघ्यक्ष	लागू नहीं ।
ऐसे पुस्तकालय और सूचना सहायक में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है ।	2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक		
टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने	संयुक्त निदेशक या उप निदेशक	– सदस्य	
अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से		
लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या		
संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि	उप निदेशक (प्रशासन और लेखा)	– सदस्य	

उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

1	2	3	4	5	6
·			-		
1 21. ज्येष्ठ सांख्यिक	2 1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	3 समूह-ख, गैर-अनुसचिवीय	4 वेतन बैंड-2 9300-34800`+ ग्रेड वेतन 4600`	5 अचयन	त लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12		13
प्रोन्नति :	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक	– अघ्यक्ष	लागू नहीं
ऐसे सांख्यिक में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष	2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक		
नियमित सेवा की है।	संयुक्त निदेशक या उप निदेशक	– सदस्य	
टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में		- (14(4	
जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	3.केन्द्रीय रेशम बोर्ड से		
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे	एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या		
ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता	उप निदेशक (प्रशासन और लेखा)	– सदस्य	
सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक			
से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और			
उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी			
अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली			
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की			
अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।			
टिप्पण 2 : प्रोन्निति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की			
संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा			
1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे			
केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित			
पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,			
नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा			
के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का			
साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में			
विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन			
पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या			
वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन			
ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित			
विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई			
सेवा समझी जाएगी ।			

1	2	3	4	5	6
22. सहायक	235*	समूह-ख,	वेतन बैंड-2	अचयन	30 वर्ष से अधिक नहीं
अधीक्षक	(2015)	अनुसचिवीय	9300-34800`	(सीधी भर्ती किए	(केन्द्रीय सरकार द्वारा
(प्रशासन)	*कार्यभार के आधार		+ग्रेड वेतन	जाने वाले व्यक्तियों	जारी किए गए अनुदेशों
	पर परिवर्तन किया		4200`	के लिए लागू नहीं	या आदेशों के अनुसार
	जा सकता है।			होता)	सरकारी सेवकों के लिए
					पाँच वर्ष तक शिथिल की
					जा सकती है) ।
					टिप्पण :
					आयु-सीमा अवधारित
					करने के लिए निर्णायक
					तारीख़ भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त
					करने के लिए नियत की
					गई अंतिम तारीख़ होगी ।

		(न कि वह अंतिम तारीख़
		जो असम, मेघालय,
		अरुणाचल प्रदेश,
		मिज़ोरम, मणिपुर,
		नागालैण्ड, त्रिपुरा,
		सिक्किम, जम्मू-कश्मीर
		राज्य के लद्दाख खंड,
		हिमाचल प्रदेश के लाहोल
		तथा स्पीति जिले तथा
		चंबा जिले के पांगी
		उपखंड, अंडमान और
		निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप
		के अभ्यर्थियों के लिए
		विहित की गई है) ।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या किसी	लागू नहीं होता	दो वर्ष	75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा,
सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या रजिस्ट्रीकृत			और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती
कंपनी में लेखा या प्रशासन में पाँच वर्ष का अनुभव।			द्वारा
टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में			
केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।			
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के			
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों			
के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब			
चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि			
उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित			
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त			
संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

11	12	13
प्रोन्नति :	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड
ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक में से जिन्होंने उस श्रेणी में दस	से एक निदेशक – अघ्यक्ष	से एक निदेशक – अघ्यक्ष
वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में	2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक	2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर
जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	संयुक्त निदेशक या उप निदेशक –	से एक संयुक्त निदेशक –
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे	सदस्य	सदस्य
ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक
परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक	एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या	उप निदेशक – सदस्य
या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के	ु उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) –	
आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम	सदस्य	
हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों		
सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही		
पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के		
लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी		
कर ली हो ।		
टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की		
संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी		
द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से		
जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर		
आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया		

गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को,	
सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व	
पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या	
वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और	
वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर	
विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान	
बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है,	
उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित	
विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की	
गई सेवा समझी जाएगी ।	

श्रेणी-1 (2015) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अनुसचिवीय 9300-34800 ` +ग्रेड वेतन 4200 ` जाने वाले व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होता) (केन्द्रीय सरकार जारी किए गए अ या आदेशों के अ सरकारी सेवकों के पाँच वर्ष तक शिथि जा सकती है)। िटप्पण: आयु-सीमा अवः करने के लिए निय			1	3	4	5	6
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। + ग्रेड वेतन 4200 ` जाने वाले व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होता) सरकारी सेवकों के पाँच वर्ष तक शिथि जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवध्वरते के लिए निय					वेतन बैंड-2	अचयन	30 वर्ष से अधिक नहीं
(न कि वह अंतिम त जो असम, मेघ अरुणाचल मिज़ोरम, मा नागालैण्ड, ि सिक्किम, जम्मू व व राज्य के लद्दाख हिमाचल प्रदेश के ल	23. आशुलिपिक श्रेणी-1	5) अ के आधार ने किया		समूह-ख,	वेतन बैंड-2 9300-34800 `	अचयन (सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी। (न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मिणपुर,

7	8	9	10
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री	लागू नहीं होता	दो वर्ष	75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा,
और किसी सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर			और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती
उपक्रम या रजिस्ट्रीकृत कंपनी में पाँच वर्ष का			द्वारा
अनुभव ।			
(ii) कौशल परीक्षण मान :			
श्रुतलेखन : एक सौ बीस शब्द प्रति मिनट की गति से दस			
मिनट।			

अनुलिपिकरण (कम्प्यूटर पर):
पचहत्तर मिनट (अँग्रेजी)
पचानबे मिनट (हिन्दी)
(iii) कौशल परीक्षण केवल कम्प्यूटर पर लिया जाएगा।
टिप्पण:
विशिष्ट भाषा (अर्थात अँगरेजी या हिन्दी) जिसमें कौशल
परीक्षण लिया जाएगा, को प्रत्येक समय रिक्ति अधिसूचित
करते समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा
में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती
है।
टिप्पण 2: अनुभव संबधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा
सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की
यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के

प्रोन्नति :

नहीं है।

ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-II में से जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है ।

11

लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना

टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का सिफ़ारिशों आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या

- केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अघ्यक्ष
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य

12

- 3.केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) – सदस्य
- 13 1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड
 - से एक निदेशक अघ्यक्ष
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक – सदस्य
- 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एकउप निदेशक सदस्य

वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

1	2	3	4	5	6
24. सहायक	1*	समूह-ख,	वेतन बैंड-2	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं
अधीक्षक	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	9300-34800`+		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी
(प्रचार)	*कार्यभार के आधार		ग्रेड वेतन 4200 `		किए गए अनुदेशों या आदेशों
	पर परिवर्तन किया				के अनुसार सरकारी सेवकों के
	जा सकता है।				लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की
					जा सकती है) ।
					टिप्पण :
					आयु-सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख़ भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने
					के लिए नियत की गई अंतिम
					तारीख़ होगी । (न कि वह
					अंतिम तारीख़ जो असम,
					मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
					मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व
					ात्रपुरा, ।साक्कम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,
					हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा
					स्पीति जिले तथा चंबा जिले का
					पांगी उपखंड, अंडमान और
					निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के
					अभ्यर्थियों के लिए विहित की
					गई है)।

7	8	9	10
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में			
बैचलर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से			
बैचलर डिग्री सहित किसी मान्यताप्राप्त संस्था या			
विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा ।			
वांछनीय :			
(i) किसी सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर			
उपक्रम या रजिस्ट्रीकृत कंपनी में लेख लेखन या			
प्रकाशन या मुद्रण या फ्रूफ रीडिंग या संपादन			
में दो वर्ष का अनुभव ।			
(ii) कम्प्यूटर का ज्ञान ।			
टिप्पण : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में			
केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।			
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता केंद्रीय सरकार के			
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित			
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा			
सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की			
यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के			
लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के			
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना			
नहीं है।			

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से
		एक निदेशक – अघ्यक्ष
		2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से
		एक संयुक्त निदेशक – सदस्य
		3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से
		एक उप निदेशक – सदस्य

1	2	3	4	5	6
25. कनिष्ठ	10*	समूह-ख	वेतन बैंड-2	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं
अनुवादक	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	9300-34800`+	होता	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए
(हिन्दी)	*कार्यभार के		ग्रेड वेतन 4200 `		्र अनुदेशों या आदेशों के अनुसार
	आधार पर				सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक
	परिवर्तन किया				शिथिल की जा सकती है) ।
	जा सकता है।				टिप्पण:
					आयु-सीमा अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों
					से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत
					की गई अंतिम तारीख़ होगी। (न कि
					वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश,
					मिज़ोरम,मणिपुर,नागालैण्ड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल
					तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का
					पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार
					द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए
					विहित की गई है) ।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
स्तर पर अँग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या			
परीक्षा का माध्यम रहा हो;			
या			
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अँग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री			
स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या			
परीक्षा का माध्यम रहा हो;			
या			
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अँग्रेजी से भिन्न किसी भी			
विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अँग्रेजी एक			
अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा			
हो;			
या			
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अँग्रेजी से भिन्न किसी भी			
विषय में अँग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी एक			
अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा			
हो;			

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अँग्रेजी विषय से भिन्न किसी भी विषय से मास्टर डिग्री जिसमें हिन्दी और अँग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो;

और

किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से अँग्रेजी से हिन्दी और विपर्ययेन अनुवाद का डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम या केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वशासी निकाय में अँग्रेजी से हिन्दी और विपर्ययेन अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2: अनुभव संबधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

11	12	13	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक	– अघ्यक्ष
		2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक	
		संयुक्त निदेशक	– सदस्य
		3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक	– सदस्य

1	2	3	4	5	6
26. पुस्तकालय और	5*	समूह-ख,	वेतन बैंड-2	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं
सूचना सहायक	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	9300-34800	होता	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए
	*कार्यभार के आधार		`+ ग्रेड वेतन		गए अनुदेशों या आदेशों के
	पर परिवर्तन किया		4200`		अनुसार सरकारी सेवकों के लिए
	जा सकता है।				पाँच वर्ष तक शिथिल की जा
					सकती है) ।
					टिप्पण :
					आयु-सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख़ भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने
					के लिए नियत की गई अंतिम
					तारीख़ होगी। (न कि वह अंतिम
					तारीख़ जो असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम,
					मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के
					लाहोल तथा स्पीति जिले तथा
					चंबा जिले का पांगी उपखंड,
					अंडमान और निकोबार द्वीप या
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए
					विहित की गई है) ।

7	8	9	10
आवश्यक:	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से			
पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान			
में बैचलर डिग्री ।			
(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या			
कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या			
विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक			
संस्था के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का			
वृत्तिक अनुभव ।			
वांछनीय :			
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर			
उपयोजन में डिप्लोमा।			
टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में			
केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।			
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता केंद्रीय सरकार के			
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब			
चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि			
उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित			
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त			
संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।			

11	12	13	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1.केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक	– अघ्यक्ष
		2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक	– सदस्य
		3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक	– सदस्य

1	2	3	4	5	6
27. सांख्यिक	5*	समूह-ख,	वेतन बैंड-2	अचयन	लागू नहीं होता
	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	9300-34800		
	*कार्यभार के आधार पर		`+ ग्रेड वेतन		
	परिवर्तन किया जा सकता है।		4200 `		

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
प्रोन्नति :	 केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अघ्यक्ष 	लागू नहीं होता
ऐसे सांख्यिकीय सहायक में से जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है।	2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक	
टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में	संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य	
जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से	
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे	एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या	
ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु	उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) 📁 सदस्य	
यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता		
सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक		
से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और		

उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

1	2	3	4	5	6
	2 1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	3 समूह-ख, गैर- अनुसचिवीय	4 वेतन बैंड-2 9300-34800 ` + ग्रेड वेतन 4200 `	5 लागू नहीं होता	6 30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी । (न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

^{*} पद पर आसन्न पदधारी के पद या सेवा छोड़ने की तारीख से यह पद समाप्त हो जाता है।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
में मास्टर डिग्री । टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा			

में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती		
है।		
टिप्पण 2: अनुभव संबधी अर्हता केंद्रीय सरकार के		
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित		
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की		
जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय		
सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों		
को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन		
समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने		
की सम्भावना नहीं है।		

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अघ्यक्ष
		2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक – सदस्य
		3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक – सदस्य

1	2	3	4	5	6
29. कनिष्ठ	26*	समूह-ख,	वेतन बैंड-2	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं
इंजीनियर	(2015)	गैर-	9300-34800`+		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए
	*कार्यभार के	अनुसचिवीय	ग्रेड वेतन 4200 `		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी
	आधार पर				सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की
	परिवर्तन				जा सकती है) ।
	किया जा सकता है।				टिप्पण:
	ह।				आयु-सीमा अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों से
					आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई
					अंतिम तारीख़ होगी। (न कि वह अंतिम
					तारीख़ जो असम, मेघालय, अरुणाचल
					प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,
					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य
					के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा
					`
					जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और
					निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों
					के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से मेकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
रेफ्रिजेरेशन या सनिटरी इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का			
डिप्लोमा ।			
टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में			
केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।			
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता केंद्रीय सरकार के			
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों			
के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब			
चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि			
उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित			
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त			
संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।			

11	12	13	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक	– अघ्यक्ष
		2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक	– सदस्य
		3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक	– सदस्य

1	2	3	4	5	6
30. ज्येष्ठ कलाकार	4*	समूह-ख,	वेतन बैंड-2	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं
	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	9300-34800 `+	होता	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए
	*कार्यभार के आधार		ग्रेड वेतन 4200 `		गए अनुदेशों या आदेशों के
	पर परिवर्तन किया				अनुसार सरकारी सेवकों के लिए
	जा सकता है।				पाँच वर्ष तक शिथिल की जा
					सकती है) ।
					टिप्पण :
					आयु-सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख़ भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम
					तारीख़ होगी । (न कि वह अंतिम
					तारीख़ जो असम, मेघालय,
					ताराख्न जा असम, मयालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम,
					मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के
					लाहोल तथा स्पीति जिले तथा
					चंबा जिले का पांगी उपखंड,
					अंडमान और निकोबार द्वीप या
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए
					विहित की गई है) ।

7	8	9	10
आवश्यक:	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनुप्रयुक्त ललित कला या वाणिज्यिक			
कला में बैचलर डिग्री (न्यूनतम तीन वर्ष का पाठ्यक्रम) ।			
वांछनीय :			
1. कोरल ड्रा, एडोब पेजमेकर, फोटो शॉप, आदि जैसे प्रकाशन विन्यास			
सॉफ्टवेयर का व्यावहारिक ज्ञान ।			
2. मुद्रण और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, कम्प्यूटर से सहायता प्राप्त विन्यास, चित्र			
और ग्राफिक्स, विज्ञापन तथा फोटोग्राफी का ज्ञान ।			
3. अनुभव : वाणिज्यिक विन्यास, ग्राफिक विन्यास और ले-आऊट बनाने के			
क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत प्रकाशन गृह या विज्ञापन अभिकरण में तीन वर्ष का			
अनुभव ।			
टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के			
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।			
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित			
जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की			
जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि			

उनके लिए आरक्षित रिक्तियों व उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर				
<u>है।</u> 11	12	13		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अघ्यः		
		2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक	– सदस्य	
		3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक	– सदस्य	

1	2	3	4	5	6
31. स्टाफ कार	11*	समूह-ख,	वेतन बैंड-2	अचयन	लागू नहीं होता
ड्राइवर (विशेष	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	9300-34800 `+		
श्रेणी)	*कार्यभार के आधार		ग्रेड वेतन 4200 `		
	पर परिवर्तन किया				
	जा सकता है।				

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति :		
ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर्स (ग्रेड-1) में से जिन्होंने उस श्रेणी में	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अघ्यक्ष	लागू नहीं होता ।
तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित	कन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निर्देशक — अघ्यक्ष	लागू नहीं होता ।
वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या		
वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		

32. सांख्यिकी	2*	समूह-ग,	वेतन बैंड-1	लागू नहीं	18 और 25 वर्ष के बीच
सहायक	(2015)	गैर-	5200-20200`+	होता	(केन्द्र सरकार द्वारा जारी
	*कार्यभार के आधार	अनुसचिवीय	ग्रेड वेतन 2800 `		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार
	पर परिवर्तन किया				सरकारी कर्मचारियों के लिए
	जा सकता है।				यदि सामान्य उम्मीदवार हों,
					तो 40 वर्ष तक तथा
					अनुसूचित जातियों या
					अनुसूचित जनजातियों के
					उम्मीदवार हों, तो 45 वर्ष
					तक की छूट देय है) ।
					टिप्पण :
					आयु-सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख़ भारत
					में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त
					करने के लिए नियत की गई
					अंतिम तारीख़ होगी । (न कि
					वह अंतिम तारीख़ जो असम,
					मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
					मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,
					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर
					राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति
					जिले तथा चंबा जिले के पांगी
					उपखंड, अंडमान और
					निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के
					अभ्यर्थियों के लिए विहित की
					गई है)।
					14 6)
	1				

7	8	9	10
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में बैचलर			
डिग्री।			
वांछनीय : कम्प्यूटरीकृत सांख्यिकी अनुप्रयोग में कार्य साधक			
ज्ञान।			
टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में			
केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।			
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता केंद्रीय सरकार के			
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों			
के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब			
चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि			
उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित			
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त			
संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।			

_			
	11	40	12
- 1			1.0
	• •	• -	10

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक	– अघ्यक्ष
		2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक	– सदस्य
		3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक	– सदस्य

1	2	3	4	5	6
33. कर्मचारी कार	88*	समूह-ग,	वेतन बैंड-1	अचयन	लागू नहीं होता
चालक (श्रेणी-1)	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	5200-20200`+		
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया		ग्रेड वेतन 2800 `		
	जा सकता है।				

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12		13
प्रोन्नति :	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक	– अघ्यक्ष	लागू नहीं होता ।
ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) में से जिन्होंने इस श्रेणी	2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से		
में छ: वर्ष नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार ड्राइवर	एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक	– सदस्य	
(श्रेणी-।।) तथा स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) में 15	्र 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के		
वर्ष की संजोयित सेवा सहित तथा सरकार द्वारा निर्धारित	एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या		
ट्रेड परीक्षण उर्त्तीण हुआ में से।	उप निदेशक (प्रशासन और लेखा)	– सदस्य	
टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने	or maxim (xxiidin siik visit)	- (14(4	
अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के			
लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों			
के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि			
उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित			
अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,			
इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे			
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता			
सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में			
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक			
पूरी कर ली हो ।			
टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की			
संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1			
जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे			
केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित			
पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,			
नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के,			
जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण			
ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर			
विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान			
बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त			
वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित			
तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			
जाएगी।			

1	2	3	4	5	6
34. उच्च श्रेणी	234*	समूह-ग,	वेतन समूह-1	लागू नहीं	18 और 25 वर्ष के बीच
लिपिक	(2015)	अनुसचिवीय	5200-20200 `+	होता	(केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों
	*कार्यभार के आधार		ग्रेड वेतन 2400 `		या आदेशों के अनुसार सरकारी
	पर परिवर्तन किया				कर्मचारियों के लिए यदि सामान्य
	जा सकता है।				उम्मीदवार हों, तो 40 वर्ष तक
					तथा अनुसूचित जातियों या
					अनुसूचित जनजातियों के
					उम्मीदवार हों, तो 45 वर्ष तक
					की छूट देय है) ।
					टिप्पण :
					आयु-सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख़ भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने
					के लिए नियत की गई अंतिम
					तारीख़ होगी । (न कि वह अंतिम
					तारीख जो असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम,
					मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के
					लाहोल तथा स्पीति जिले तथा
					चंबा जिले का पांगी उपखंड,
					अंडमान और निकोबार द्वीप या
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए
					विहित की गई है) ।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री सहित अँग्रेजी	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
टंकण में पैंतीस शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में तीस शब्द			
प्रति मिनट की गति (प्रत्येक शब्द के लिए पाँच की डिप्रैशन के			
औसत पर दस हज़ार पाँच सौ की डिप्रैशन प्रति घंटा या नौ हज़ार			
की डिप्रैशन प्रति घंटा के अनुरूप पैंतीस शब्द और तीस शब्द प्रति			
मिनट)।			
(अनुज्ञात समय – दस मिनट)			
टिप्पण :			
(क) टंकण परीक्षण केवल कम्प्यूटर पर लिया जाएगा ।			
(ख) विशिष्ट भाषा (अर्थात् अँग्रेजी या हिन्दी) जिसमें टंकण			
परीक्षण लिया जाएगा, को प्रत्येक समय रिक्ति को अधिसूचित			
करते समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।			
टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय			
सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।			
टिप्पण 2: अनुभव संबधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार			
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की			

दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर	
केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों	
को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के	
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	

11	12	13	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक	– अघ्यक्ष
		2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक	– सदस्य
		3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक	– सदस्य

1	2	3	4	5	6
35.	21*	समूह-ग,	वेतन समूह-1	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच
आशुलिपिक	(2015)	अनुसचिवीय	5200-20200`		(केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या
श्रेणी-॥	*कार्यभार के		+ ग्रेड वेतन		आदेशों के अनुसार सरकारी
	आधार पर		2400`		कर्मचारियों के लिए यदि सामान्य
	परिवर्तन किया जा				उम्मीदवार हों, तो 40 वर्ष तक तथा
	सकता है।				अनुसूचित जातियों या अनुसूचित
					जनजातियों के उम्मीदवार हों, तो 45
					वर्ष तक की छुट देय है) ।
					टिप्पण :
					आयु-सीमा अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों
					से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत
					की गई अंतिम तारीख़ होगी। (न कि
					वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर,
					नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व
					कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल
					प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा
					चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान
					और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के
					अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
(ii) कौशल परीक्षण मान:			
श्रुतलेखन : अस्सी शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट			
अनुलिपीकरण (कम्प्यूटर पर):			
पचास मिनट (अँग्रेजी)			
पैंसठ मिनट (हिन्दी)			
(iii) केवल कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षण लिया जाएगा।			
टिप्पण :			
विशिष्ट भाषा अर्थात् अँग्रेजी या हिन्दी जिसमें कौशल परीक्षण			
लिया जाएगा, प्रत्येक समय रिक्ति को अधिसूचित करते समय			
विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।			
टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय			
सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।			

टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता	केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार			
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित				
दशा में तब शिथिल की जा सकती	हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर			
केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उ				
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव				
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।				
11	12		13	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	से एक संयुक्त निदेशक	– अघ्यक्ष
		2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर सेएक संयुक्त निदेशक – स		
		3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	से एक उप निदेशक	– सदस्य

1	2	3	4	5	6
36. स्टाफ कार	75*	समूह-ग,	वेतन बैंड-1	अचयन	लागू नहीं होता
ड्राइवर (श्रेणी-II)	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	5200-20200`+		
	*कार्यभार के आधार		ग्रेड वेतन 2400 `		
	पर परिवर्तन किया				
	जा सकता है।				

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12		13
प्रोन्नति :	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक	– अघ्यक्ष	लागू नहीं होता ।
ऐसे स्टाफ कार (सामान्य श्रेणी) में से जिन्होंने उस श्रेणी में	2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से		
नौ वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने सरकार द्वारा	एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक	– सदस्य	
विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उर्त्तीण किया है।	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के		
टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने			
अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के	एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या		
लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों	उप निदेशक (प्रशासन और लेखा)	– सदस्य	
के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि			
उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित			
अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,			
इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे			
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता			
सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में			
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक			
पूरी कर ली हो ।			
टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की			
संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1			
जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे			
केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित			
पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,			
नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के,			
जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण			
ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया			
है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर			
विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान			

बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त	
वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित	
तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी	
जाएगी।	

1	2	3	4	5	6
37. अवर श्रेणी	68*	समूह-ग,	वेतन बैंड-1	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच
लिपिक	(2015)	अनुसचिवीय	5200-20200		(केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या
	*कार्यभार के		`+ ग्रेड वेतन		आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के
	आधार पर		1900`		लिए यदि सामान्य उम्मीदवार हों, तो 40
	परिवर्तन किया जा				वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों या
	सकता है।				अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार हों,
					तो 45 वर्ष तक की छूट देय है) ।
					टिप्पण :
					आयु-सीमा अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों से
					आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई
					अंतिम तारीख़ होगी । (न कि वह अंतिम
					तारीख़ जो असम, मेघालय, अरुणाचल
					प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,
					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल
					तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का
					पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप
					या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित
					की गई है) ।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
उर्त्तीण सहित अँग्रेजी टंकण में पैंतीस शब्द प्रति मिनट और			
हिन्दी टंकण में तीस शब्द प्रति मिनट की गति (प्रत्येक			
शब्द के लिए पाँच की डिप्रैशन के औसत पर दस हज़ार			
पाँच सौ की डिप्रैशन प्रति घंटा या नौ हज़ार की डिप्रैशन			
प्रति घंटा के अनुरूप पैंतीस शब्द और तीस शब्द प्रति			
मिनट)।			
(अनुज्ञात समय-दस मिनट)			
टिप्पण :			
(क) टंकण परीक्षण केवल कम्प्यूटर पर लिया जाएगा ।			
(ख) विशिष्ट भाषा (अर्थात् अँगरेजी या हिन्दी) जिसमें			
टंकण परीक्षण लिया जाएगा, को प्रत्येक समय रिक्ति			
को अधिसूचना के समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा।			
टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा			
में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती			
है।			
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के			
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित			
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा			

सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की		
यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के		
लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के		
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना		
नहीं है।		

11	12	13	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक	– अघ्यक्ष
		2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक	– सदस्य
		3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक	– सदस्य

1	2	3	4	5	6
38. स्टाफ कार	46*	समूह-ग,	वेतन बैंड-1	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच
ड्राइवर	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	5200-20200`		(केन्द्र सरकार द्वारा जारी
(सामान्य श्रेणी)	*कार्यभार के आधार		+ ग्रेड वेतन		अनुदेशों या आदेशों के
	पर परिवर्तन किया		1900`		अनुसार सरकारी
	जा सकता है।				कर्मचारियों के लिए यदि
					सामान्य उम्मीदवार हों,
					तो 40 वर्ष तक तथा
					अनुसूचित जातियों या
					अनुसूचित जनजातियों के
					उम्मीदवार हों, तो 45
					वर्ष तक की छूट देय है) ।
					टिप्पण :
					आयु-सीमा अवधारित
					करने के लिए निर्णायक
					तारीख़ भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन
					प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़
					होगी। (न कि वह अंतिम
					हागा (माक यह जातम तारीख़ जो असम,
					ताराख़ जा असम, मेघालय, अरुणाचल
					प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर,
					नागालैण्ड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, जम्मू व कश्मीर
					राज्य के लद्दाख खंड,
					हिमाचल प्रदेश के
					लाहोल तथा स्पीति जिले
					तथा चंबा जिले का पांगी
					उपखंड, अंडमान और
					निकोबार द्वीप या
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के
					लिए विहित की गई है) ।

7	8	9	10
आवश्यक:	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
(i) मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति;	होता		

(ii) मोटर कल-पुरजे का ज्ञान (अभ्यर्थी मोटर कार की छोटी-मोटी खराबियों		
को ठीक करने के योग्य हो) ।		
(iii) मोटर कार चलाने का कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव ।		
(iv) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।		
वांछनीय :		
(i) होमगार्ड या सिविल स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा।		
टिप्पण 1: उम्मीदवार अन्यथा पूर्ण रूप से योग्य हो, के मामले में केन्द्र सरकार		
के विवेकाधिकार में योग्यता में छूट देय है ।		
टिप्पण 2: यदि चयन के किसी चरण में केन्द्र सरकार की यह राय है कि		
आवश्यक अनुभव के उन समुदायों से उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए		
आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो		
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में		
अनुभव के संबन्ध में योग्यता में केन्द्र सरकार के विवेकाधिकार से छूट देय है ।		

11	12		13	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक	– अघ्यक्ष
		2.	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से एक मोटर गाड़ी निरीक्षक	– सदस्य
		3.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक	– सदस्य

1	2	3	4	5	6
39. रसोइया	7*	समूह-ग,	वेतन बैंड-1	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच
	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	5200-20200`		(केन्द्र सरकार द्वारा जारी
	*कार्यभार के आधार		+ ग्रेड वेतन		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार
	पर परिवर्तन किया		1900`		सरकारी कर्मचारियों के लिए
	जा सकता है।				यदि सामान्य उम्मीदवार हों, तो
					40 वर्ष तक तथा अनुसूचित
					जातियों या अनुसूचित
					जनजातियों के उम्मीदवार हों,
					तो 45 वर्ष तक की छूट देय है) ।
					टिप्पण :
					आयु-सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख़ भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने
					के लिए नियत की गई अंतिम
					तारीख़ होगी। (न कि वह अंतिम
					तारीख़ जो असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम,
					मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य
					के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश
					के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी
					उपखंड, अंडमान और निकोबार
					द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों
					के लिए विहित की गई है) ।

-	•	^	40
	8	9	10
-	=	_	

किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से खान-पान में डिप्लोमा सहित	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के			
छात्रावास या कैंटीन या अतिथि गृह में या पंजीकृत होटल में			
भारतीय खाना बनाने या यूरोपीय भोजन बनाने में तीन वर्ष का			
अनुभव।			
टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में			
केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।			
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार			
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की			
दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम			
पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित			
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन			
समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			
सम्भावना नहीं है ।			

11	12	13	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक	– अघ्यक्ष
		2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक	– सदस्य
		3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक	– सदस्य

1	2	3	4	5	6
40. तकनीशियन	27*	समूह-ग,	वेतन बैंड-1	अचयन	लागू नहीं होता
	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	5200-20200`+		
	*कार्यभार के आधार		ग्रेड वेतन 1900 `		
	पर परिवर्तन किया				
	जा सकता है।				

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12		13
प्रोप्ति: ऐसे सहायक तकनीशियन में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी	12 1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा)	– अघ्यक्ष – सदस्य – सदस्य	13 लागू नहीं होता
परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा			
की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी	1		

अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या	
उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग	
की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन	
संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित	
आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के,	
जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का	
साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी	
में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस	
पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए	
ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का	
साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग	
की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी	
ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी	
जाएगी ।	

1	2	3	4	5	6
41. सहायक	193*	समूह-ग,	वेतन बैंड-1	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच
तकनीशियन	(2015)	गैर-अनुसचिवीय	5200-20200`		(केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों
	*कार्यभार के		+ ग्रेड वेतन		या आदेशों के अनुसार सरकारी
	आधार पर		1800 `		कर्मचारियों के लिए यदि सामान्य
	परिवर्तन किया जा				उम्मीदवार हों, तो 40 वर्ष तक
	सकता है।				तथा अनुसूचित जातियों या
					अनुसूचित जनजातियों के
					उम्मीदवार हों, तो 45 वर्ष तक की
					छूट देय है)।
					टिप्पण :
					आयु-सीमा अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख़ भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के
					लिए नियत की गई अंतिम तारीख़
					होगी। (न कि वह अंतिम तारीख़ जो
					असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
					मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,
					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर
					राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल
					प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले
					तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड,
					अंडमान और निकोबार द्वीप या
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए
					विहित की गई है) ।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से औद्यौगिक तकनीकी संस्थान प्रमाणपत्र ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
टिप्पण : उस सुसंगत क्षेत्र में जिसमें औद्योगिक तकनीकी संस्थान प्रमाणपत्र			
अपेक्षित है प्रत्येक रिक्ति की अधिसूचना के समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।			
टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के			
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।			
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित			
जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की			

जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि		
उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले		
उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना		
नहीं है ।		

11	12	13	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक	– अघ्यक्ष
		2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक	– सदस्य
		3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एक उप निदेशक	– सदस्य

1	2	3	4	5	6
42. बहुकार्य कर्मचारिवृंद	663* (2015) *कार्यभार के	समूह-ग, गैर- अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 `+ ग्रेड वेतन 1800 `	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ भारत में
	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी। (न कि वह अंतिम
					तारीख़ जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा
					चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या किसी मान्यता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
प्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण उर्त्तीण प्रमाणपत्र ।			
टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय			
सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।			
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार			
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा			
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय			
सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के			
लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के			
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

11	12	13	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक	– अघ्यक्ष
		2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक	– सदस्य
		3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एक उप निदेशक	– सदस्य

सीताराम गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

(CENTRAL SILK BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2015

The Central Silk Board (Administrative, Accounts and General Cadre Posts) Recruitment Rules, 2015

- G.S.R. 963 (E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948) and in supersession of the Central Silk Board (Consolidated) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the posts of Chief Accounts and Audit Officer, Deputy Secretary (Administration), Deputy Director (Publicity), Deputy Secretary (Costing), Assistant Director (Statistics), Accounts and Audit Officer, Assistant Secretary (Administration), Editor, Senior Librarian, Hindi Officer, Superintendent, Superintendent (Publicity), Senior Statistician, Statistician, Assistant Superintendent, Reporter, Assistant Superintendent (Publicity), Librarian, Senior Translator (Hindi), Assistant, Library Assistant, Stenographer, Publicity Assistant, Statistical Assistant, Junior Translator (Hindi), Senior Artist or Senior Photographer, Senior Mechanic, Bus or Truck Driver, Upper Division Clerk, Junior Stenographer, Artist or Photographer, Lower Division Clerk, Driver, Technician, Cook, Assistant Technician, Helper, Attender, Chowkidar, and Safaiwala, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Administrative, Accounts and General Cadre posts, in the Central Silk Board, namely:-
- **1. Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Central Silk Board (Administrative, Accounts and General Cadre Posts) Recruitment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - **2. Application**.—These rules shall apply to posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.
- **4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.
 - 5. Disqualification.-No person, -
 - (i) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;
 - shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classifi- cation.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
1. Joint Director (Administration).	2* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Ministerial.	Pay band-3 Rs.15600- 39100 plus grade pay of Rs. 7600.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation / absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	If a Selection Committee exists for direct recruitment, what is its composition.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: From among the Deputy Director (Administration and Accounts) with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be servicerendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale ofpay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Deputation: Officers of the Central Government, -	1. Member-Secretary, Central Silk Board Chairman; 2. Joint Secretary or Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles Member; 3. A Director from Central Silk Board Member;	Not applicable.

		_	
	(i) holding analogous post on		
	regular basis; or		
	(ii) with five years regular		
	service in pay band-3, Rs.15600-		
	39100		
	plus grade pay of Rs. 6600 or		
	equivelent		
	Note 1: The Departmental		
	officers in the feeder category who		
	are inthe direct line of promotion		
	shall not be eligible for		
	consideration for appointment on		
	deputation and similarly, the		
	deputationists shall not be eligible		
	for consideration for appointment		
	by promotion.		
	Note 2: The period of deputation		
	including the period of deputation		
	in another ex-cadre post held		
	immediately preceding this		
	appointment in the same or some		
	other organisation or Department		
	of the Central Government shall		
	ordinarly not exceed three years.		
	Note 3: The maximum age limit		
	for appointment by deputation		
	shall be not exceeding 56 years' as		
	on the closing date of receipt of		
	applications.		
	Note 4: For purposes of		
	appointment on deputation basis,		
	the service rendered on a regular		
	basis by an officer prior to 1st		
	January, 2006 or the date from		
	which the revised pay structure		
	based on the		
	recommendations of the Sixth		
	Central Pay Commission has been		
	extended shall be deemed to be		
	service rendered in the		
	corresponding grade pay or pay		
	scale extended based on the		
	recommendations of the said Pay		
	Commission except where there		
	has been merger of more than one		
	pre-revised scale of pay into one		
	grade with a common grade pay or		
	pay scale, and where this benefit		
	will extend only for the post(s) for		
	which that grade pay or pay scale		
	is the normal replacement grade		
	without any upgradation.		

1	2	3	4	5	6	7
2. Joint Director	1* (2015)* Subject to variation	Group A,	Pay band-3,	Selection.	Not	Not applicable.
(Finance).	dependent on work load.	Ministerial.	Rs.15600-		applicable.	
			39100 plus			
			grade pay of			
			Rs.7600.			

8	9	10	11		12		13
Not	Not	By	Promotion:	1.	Member-Secretary,	- Chairman;	Not
applicable.	applicable.	promotion	From among the Deputy Director		Central Silk Board		applicable.
		failing	(Finance) with five years regular service	2.	Joint Secretary or	- Member;	
		which by	in the grade.		Director or Deputy Secre	etary,	
		deputation	Note 1: Where juniors who have		Ministry of Textiles		
			completed their qualifying or eligibility	3.	A Director from	- Member.	
			service are being considered for		Central Silk Board		
			promotion, their seniors shall also be				
			considered provided they are not short				
			of the requisite qualifying or eligibility				
			service by more than half of such				
			qualifying or eligibility service or two				
			years, whichever is less, and have				
			successfully completed their probation				
			period for promotion to the next higher				

grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Deputation:

Officers of the Central Government, -

- (i) holding analogous post on regular basis; or
- (ii) with five years regular service in pay band-3, Rs.15600-39100

plus grade pay of Rs. 6600 or equivelent

Note 1: The Departmental officers in

the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be

eligible for consideration

for appointment on deputation and similarly, the deputationists

shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarly not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

1	2	3	4	5	6	7
Joint Director	1 *(2015)	Group A, Non-	Pay band-3	Selection.	Not	Not applicable.
(Publicity).	* Subject to variation	Ministerial.	Rs.15600-39100 plus		applicable.	
	dependent on work load.		grade pay of Rs.7600.			

8	9	10	11	12	13
Not	Not	By	Promotion:	Member-Secretary, Central Silk	Not
applicable.	applicable.	promotion	From among the Deputy Director (Publicity)	Board -Chairman;	applicable.
		failing	with five years regular service in the grade.	2. Joint Secretary or Director or	
		which by deputation.	Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being	Deputy Secretary, Ministry of	
		deputation.	considered for promotion, their seniors shall	Textiles -Member;	
			also be considered provided they are not short of	A Director from Central Silk	
			the requisite qualifying or eligibility service by	Board -Member;	
			more than half of such qualifying or eligibility		
			service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for		
			promotion to the next higher grade along with		
			their juniors who have already completed such		
			qualifying or eligibility service.		
			Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service		
			rendered on a regular basis by an officer prior to		
			1st January, 2006 or the date from which the		
			revised pay structure based on the		
			recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed		
			to be service rendered in the corresponding		
			grade pay or pay scale extended based on the		
			recommendations of the said Pay Commission		
			except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade		
			with a common grade pay or pay scale, and		
			where this benefit will extend only for the		
			post(s) for which that grade pay or pay scale is		
			the normal replacement grade without any		
			upgradation. Deputation:		
			Officers of the Central Government, -		
			(i) holding analogous post on regular basis; or		
			(ii) with five years regular service in pay band-		
			3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs. 6600/- or equivelent		
			Note 1: The Departmental officers in the feeder		
			category who are in the direct line of promotion		
			shall not be eligible for consideration for		
			appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for		
			consideration for appointment by promotion.		
			Note 2: The period of deputation including the		
			period of deputation in another ex-cadre post		
			held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or		
			Department of the Central Government shall		
			ordinarly not exceed three years.		
			Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not		
			exceeding 56 years' as on the closing date of		
			receipt of applications.		
			Note 4: For purposes of appointment on		
			deputation basis, the service rendered on a		
			regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay		
			structure based on the recommendations of the		
			Sixth Central Pay Commission has been		
			extended shall be deemed to be service rendered		
			in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the		
			said Pay Commission except where there has		
			been merger of more than one pre-revised scale		
			of pay into one grade with a common grade pay		
			or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or post(s) for which that grade		
			pay or pay scale is the normal replacement		
			grade without any upgradation.		
	i		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

1	2	3	4	5	6	7
4. Joint Director	1*	Group A,	Pay band-3	Not applicable.	Not exceeding 50	Master's Degree in
(Enterprise	(2015)	Non-Ministerial.	Rs.15600-		years	Business
Promotion	* Subject to		39100 plus		(relaxable for	Administration from a
Cell).	variation		grade pay of		Government servants	recognised University
	dependent on		Rs.7600.		upto five years in	and possessing a
	work load.				accordance with	minimum of ten years
					the instructions or	experience in
					orders issued by	Marketing or Textiles
					the Central	or Enterprise
					Government).	Development in a
					Note:	Central or State
					The crucial date for	Government
					determining the age	Department or Public
					limit shall be the	Sector Undertaking or
					closing date for	Autonomous Body.
					receipt of applications from candidates in	Note 1: Qualifications
					India (and not the	are relaxable at the discretion of the
					closing date	Central Government
					prescribed for those in	in the case of
					Assam, Meghalaya,	candidates otherwise
					Arunachal Pradesh,	well qualified.
					Mizoram, Manipur,	Note 2: The
					Nagaland, Tripura,	qualification
					Sikkim, Ladakh	regarding experience
					Division of Jammu	is relaxable at the
					and Kashmir State,	discretion of the
					Lahaul and Spiti	Central Government
					District and Pangi	in the case of
					Sub-division of	candidates belonging
					Chamba District of	to the Scheduled
					Himachal Pradesh, the	Castes or the
					Union territory of the	Scheduled Tribes if at
					Andaman and Nicobar	any stage of selection
					Islands or the Union	the Central
					territory of	Government is of the
					Lakshadweep).	opinion that sufficient
						number of candidates
						from these
						communities
						possessing the
						requisite experience
						are not likely to be available to fill up the
						vacancies reserved for
1	I			I		them.

8	9	10	11	12		13	
Not applicable.	One year.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicabl	e.	Member-Secretary, Central Silk Board A Professor in the relevant subject from a recognised University	-Chairman
						Joint Secretary or Director or Deputy Secretary from the Ministry of Textiles One Professor in the relevant subject from	-Member
						Indian Institute of Management	-Member

1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director	10*	Group A,	Pay band-3	Selection.	Not	Not applicable.
(Administration and	(2015)	Ministerial.	Rs.15600-		applicable.	
Accounts).	* Subject to		39100 plus			
	variation		grade pay of			
	dependent on		Rs.6600.			
	work load.					

8	9	10	11		12		13
Not	Not	Ву	Promotion:	1.	Member-Secretary,		Not
applicable.	applicable.	promotion	From among the Assistant Director		Central Silk Board	-Chairman;	applicable.
		failing	(Administration and Accounts) with	2	Joint Secretary or Director or		
		which by	five years regular service in the grade.	۷.	Deputy Secretary,		
		deputation.	Note 1: Where juniors who have		Ministry of Textiles	-Member:	
			completed their qualifying or		•	memoer,	
			eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also	3.			
			be considered provided they are not		Silk Board	-Member.	
			short of the requisite qualifying or				
			eligibility service by more than half of				
			such qualifying or eligibility service				
			or two years, whichever is less, and				
			have successfully completed their				
			probation period for promotion to the				
			next higher grade along with their				
			juniors who have already completed				
			such qualifying or eligibility service.				
			Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for				
			promotion, the service rendered on a				
			regular basis by an officer prior to 1 st				
			January, 2006 or the date from which				
			the revised pay structure based on the				
			recommendations of the Sixth Central				
			Pay Commission has been extended,				
			shall be deemed to be service				
			rendered in the corresponding grade				
			pay or pay scale extended based on the				
			recommendations of the said Pay				
			Commission except where there has				
			been merger of more than one pre- revised scale of pay into one grade				
			with a common grade pay or pay scale,				
			and where this benefit will extend only				
			for the post(s) for which that grade pay				
			or pay scale is the normal replacement				
			grade without any upgradation.				
			Deputation:				
			Officers of the Central Government, -				
			(i) holding analogous post on regular				
			basis; or				
			(ii) with five years regular service in				
			pay band-3 Rs.15600-39100 plus				
			grade pay of Rs. 5400/- or equivelent Note 1: The Departmental officers in				
			the feeder category who are in the				
			direct line of promotion shall not be				
			eligible for consideration for				
			appointment on deputation and				
			similarly, the deputationists				
			Note 2: The period of deputation				
			including the period of deputation in				
			another ex-cadre post held				
			immediately preceding this				
			appointment in the same or some other				
			organisation or Department of the Central Government shall ordinarly				
			not exceed three years.				
			Note 3: The maximum age limit for				
			appointment by deputation shall be not				
			exceeding 56 years' as on the closing				
			date of receipt of applications.				
			Note 4: For purposes of appointment				
			on deputation basis, the service				
			rendered on a regular basis by an				
			officer prior to 1st January, 2006 or				
			the date from which the revised pay				
			structure based on the				
			recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended				
			shall be deemed to be service rendered				
			in the corresponding grade pay or pay				
			scale extended based on the				
			recommendations of the said Pay				
			Commission except where there has				
	•		1				

been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay\	
scale, and where this benefit will extend only for the post or post(s) for which that grade pay or pay scale is	
the normal replacement grade without any upgradation.	

1	2	3	4	5	6	7
6. Deputy Director (Finance).	1* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Ministerial.	Pay band- 3 Rs.15600- 39100 plus grade pay of Rs.6600.	Not applicable.	Not exceeding 40 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Essential: Bachelor's degree from a recognised University having Associate Membership of the Institute of Chartered Accountants of India with a minimum of five years post qualification experience in Finance in Government Departments or Public Sector Undertakings or registered Companies in a higher position. Desirable: Possessing knowledge of computerised accounts. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	One year.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Member-Secretary, -Chairman; Central Silk Board A Deputy Accountant General from the Office of Accountant General -Member; Director or Deputy Secretary, -Member; Ministry of Textiles One Professor in the relevant subject from Indian Institute of Management or recognised University -Member

1	2	3	4	5	6	7
7. Deputy Director (Publicity).	1* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Non- Ministerial.	Pay band- 3 Rs.15600- 39100 plus grade pay of Rs.6600.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: From among the Assistant Director (Publicity) with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service or promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Deputation: Officers of the Central Government, - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.5400/- or equivelent Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman; Joint Secretary or Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member; A Director from Central Silk Board - Member.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
			Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarly not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

1	2	3	4	5	6	7
8. Deputy Director (Official Language).	2* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Non- Ministerial.	Pay band- 3 Rs.15600- 39100 plus grade pay of Rs.6600.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12		13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: From among the Assistant Director (Official Language) with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central	Member-Secretary, Central Silk Board Joint Secretary or Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles A Director from Central Silk Board	-Member;	Not applicable.

_		
	Pay Commission has been extended,	
	shall be deemed to be service rendered	
	in the corresponding grade pay or pay	
	scale extended based on the	
	recommendations of the said Pay	
	Commission except where there has	
	been merger of more than one pre	
	revised scale of pay into one grade	
	with a common grade pay or pay scale,	
	and where this benefit will extend only	
	for the post(s) for which that grade pay	
	or pay scale is the normal replacement	
	grade without any upgradation.	
	Deputation:	
	Officers of the Central Government, -	
	(i) holding analogous post on regular	
	basis; or	
	(ii) with five years regular service in	
	pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade	
	pay of Rs.5400/- or equivelent	
	Note 1: The Departmental officers in	
	the feeder category who are in the	
	direct line of promotion shall not be	
	eligible for consideration for	
	appointment on deputation and	
	similarly, the deputationists shall not	
	be eligible for consideration for	
	appointment by promotion.	
	N. A. TELL.	
	Note 2: The period of deputation	
	including the period of deputation in	
	another ex-cadre post held immediately	i

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarly not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay based on structure recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

1	2	3	4	5	6	7
9. Library and Information Officer.	1* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Non- Ministerial.	Pay band- 3 Rs.15600- 39100 plus grade pay of Rs.6600.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11		12		13
Not	Not	Ву	Promotion:	1.	Member-	-Chairman;	Not applicable.
applicable	applicable	promotion	From among the Assistant Library and		Secretary,		
		failing	Information Officer with seven years		Central Silk		
		which by	regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have	2	Board Joint Socretory		
		deputation	completed their qualifying or eligibility	۷.	Joint Secretary		
			service are being considered for		or Director or	-Member;	
			promotion, their seniors shall also be		Deputy	-Member,	
			considered provided they are not short		Secretary,		
			of the requisite qualifying or eligibility		Ministry of		
			service by more than half of such		Textiles		
			qualifying or eligibility service or two				
			years, whichever is less, and have	3.	A Director		
			successfully completed their probation		from		
			period for promotion to the next higher		Central Silk	Member.	
			grade along with their juniors who have		Board	Wichiber.	
			already completed such qualifying or				
			eligibility service.				
			Note 2: For the purpose of computing				
			minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a				
			regular basis by an officer prior to 1st				
			January, 2006 or the date from which				
			the revised pay structure based on the				
			recommendations of the Sixth Central				
			Pay Commission has been extended,				
			shall be deemed to be service rendered				
			in the corresponding grade pay or pay				
			scale extended based on the				
			recommendations of the said Pay				
			Commission except where there has				
			been merger of more than one pre				
			revised scale of pay into one grade				
			with a common grade pay or pay scale,				
			and where this benefit will extend only				
			for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement				
			grade without any upgradation.				
			Deputation:				
			Officers of the Central Government, -				
			(i) holding analogous post on regular				
			basis; or				
			(ii) with five years regular service in				
			pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade				
			pay of Rs.5400/- or equivelent.				
			Note 1: The Departmental officers in				
			the feeder category who are in the				
			direct line of promotion shall not be				
			eligible for consideration for				
			appointment on deputation and				
			similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for				
			appointment by promotion.				
			Note 2: The period of deputation				
			including the period of deputation in				
			another ex cadre post held immediately				
			preceding this appointment in the same				
			or some other organisation or				
			Department of the Central Government				
			shall ordinarly not exceed three years.				
			Note 3: The maximum age limit for				
			appointment by deputation shall be not				
			exceeding 56 years' as on the closing				
			date of receipt of applications.				
			Note 4: For purposes of appointment on				
			deputation basis, the service rendered				
			on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2006 or the date from				
			which the revised pay structure based				
			on the recommendations of the Sixth				
			Central Pay Commission has been				
			extended shall be deemed to be service				
			rendered in the corresponding grade				
			pay or pay scale extended based on the				
			recommendations of the said Pay	1			

be re a wi the	commission except where there has seen merger of more than one prevised scale of pay into one grade with common grade pay or pay scale, and here this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or ay scale is the normal replacement rade without any upgradation.		
----------------	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7
10. Deputy Director (Statistics)	1* (2015) * Subject to variation dependent on work load	Group A, Non- Ministerial	Pay band-3 Rs.15600- 39100 plus grade pay of Rs.6600	Selection	Not applicable	Not applicable

8 9	10	11	12		13
Not applicable applicable	Ву	Promotion: From among the Assistant Director (Statistics) with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Deputation: Officers of the Central Government, - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.5400/- or equivelent Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	1. Member-Secretary, Central Silk Board 2. Joint Secretary or Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles 3. A Director from Central Silk Board	-Member; -Member.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
			Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarly not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

1	2	3	4	5	6	7
11. Assistant Director (Administration and Accounts)	37* (2015) * Subject to variation dependent on work load	Group A, Ministerial	Pay band-3 Rs.15600- 39100 plus grade pay of Rs.5400	Selection (Not applicable for direct recruits)	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Chartered Accountancy with Preliminary Examination-I from Institute of Chartered Accountants of India with one year experience in Finance or Masters degree in Commerce with five years experience in Accounts and Finance, in Government Departments or Public Sector Undertakings or registered Companies. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

8	9	10	11	12		13	
Not applicable.	Two years.	Eighty per cent by promotion;	Promotion: From among the Superintendents (Administration) with three years	1. A Director from Central Silk Board	-Chairman;	A Director from Central Silk Board	- Chairman
		and twenty per cent by direct recruitment	regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board	-Member;	2. Deputy Secretary or under Secretary Ministry of Textiles 3. A Deputy Accountant General from the Office of Accountant General	-Member.

1	2	3	4	5	6	7
12. Assistant Director (Publicity).	2* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Non- Ministerial.	Pay band- 3 Rs.15600- 39100 plus grade pay of Rs.5400.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11		12		13
Not applicable.	Two years.	By promotion.	Promotion: From among the Superintendents (Publicity) with three years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have	1. 2. 3.	Central Silk Board A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board	-Member; -Member.	Not applicable.

	already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
13. Assistant	6*	Group A,	Pay band-	Selection.	Not	Not applicable.
Director	(2015)		3		applicable.	
(Offiicial	* Subject	Non-	Rs.15600-			
Language).	to	Ministerial.	39100			
	variation		plus			
	dependent		grade pay			
	on		of			
	work		Rs.5400.			
	load.					

8	9 10	11	12		13
Not applicable.	9 10 Two By years. promotion.	Promotion: From among the Senior Translators (Hindi) with three years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	1. A Director from Central Silk Board 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board	-Chairman; -Member; -Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
14. Assistant Director (Statistics).	9* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Non- Ministerial.	Pay band- 3 Rs.15600- 39100 plus grade pay of Rs.5400.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
			Ks.5400.			

applicable. years. promotion. From among the Senior Statisticians with three years regular servicein the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the	8	13		12	11	10	9	8
recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement	Not	; Not applicable.	-Member	A Director from Central Silk Board A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration)	Promotion: From among the Senior Statisticians with three years regular servicein the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or	By	Two	Not

1	2	3	4	5	6	7
15. Assistant	1*	Group A,	Pay band-	Not	Not exceeding 35	Master's Degree in Managerial Economics or
Director	(2015)	Non-	3, Rs.	applicable	years (relaxable for	Agricultural Economics from a recognized
(Sericulture	* Subject	Ministerial	15600-		Government servants	University with five years experience in teaching
Management).	to		39100		upto five years in	in a recognised College or Institution.
	variation		plus		accordance with the	Note 1: Qualifications are relaxable at the
	dependent		grade pay		instructions or orders	discretion of the Central Government in the case
	on		of		issued by the Central	of candidates otherwise well qualified.
	work		Rs.5400		Government).	Note 2 : The qualification regarding experience
	load.					is relaxable at the discretion of the Central
					Note:	Government in the case of candidates belonging
					The crucial date for	to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes
					determining the age	if at any stage of selection, the Central
					limit shall be the	Government is of the opinion that sufficient
					closing date for	number of candidates from these communities
					receipt of	possessing the requisite experience are not likely
					applications from	to be available to fill up the vacancy reserved for
					candidates in India	them.
					(and not the closing	
					date prescribed for	
Ţ					_	

		those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Turritory of Lakshadweep).	
--	--	--	--

^{*} This post stands phased out from the date the incumbent officiating against the post quits the post or service

8	9	10	11	12	13	
Not applicable.	One year.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	A Director from Central Silk Board Deputy Secretary	-Chairman;
					or Under Secretary, Ministry of Textiles 3. One Professor in the relevant subject from Indian Institute of Management or	-Member;
					recognised University	-Member.

1	2	3	4	5	6	7
16. Hostel Manager.	1* * Subject to variation dependen t on work load.	Group A, Non- Ministerial	Pay band-3, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs.5400.	Not applicable.	Not exceeding 35 years	Bachelor's Degree from a recognised University in Science or Arts or Commerce with a Post Graduate Diploma in Catering and Hotel Management with a minimum of three years experience in management of a registered Hotel or Hostel. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

8	9	10	11	12	13	
Not	One	By direct	Not applicable.	Not applicable.	A Director from	-Chairman;
applicable.	year.	recruitment.			Central Silk	
					Board	
					Deputy Secretary	
					or Under	-Member;
					Secretary,	
					Ministry of	
					Textiles	
					A Deputy	-Member.
					Director from	-ivicilibei.
					outside Central Silk	
					Board	

1	2	3	4	5	6	7
17. Superintendent (Administration).	54* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300- 34800 plus grade pay of Rs.4600.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12		13
8 Not applicable	9 Not applicable	By promotion	Promotion: From among the Assistant Superintendents (Administration) and Stenographers Grade-I with five years regular service in the grade based on combined seniority and should have passed Supervisory level Departmental Examination conducted by the Board from time to time securing minimum forty per cent. marks (thirty five per cent. marks in case of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribe employees). Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale without any upgradation.	12 1. A Director from Central Silk Board 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board	-Chairman; -Member;	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
18. Superintendent (Publicity).	2* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non- Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300- 34800 plus grade pay of Rs.4600.	Non- selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12		13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: From among the Assistant Superintendents (Publicity) with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short	A Director from Central Silk Board A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board	-Chairman;	Not applicable.
			of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board	-Member.	

1	2	3	4	5	6	7
19. Senior Translator (Hindi).	6* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non- Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300- 34800 plus grade pay of Rs.4600.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12		13
Not applicable	Not applicable	By promotion	Promotion: From among the Junior Translators (Hindi) with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	1. A Director from Central Silk Board 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board	-Member;	Not applicable.

	2	3	4	5	6	7
20. Assistant Library and Information Officer.	1* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non- Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300- 34800 plus grade pay of Rs.4600.	Non- selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12		13
Not applicable	Not applicable	By promotion	Promotion: From among the Library and Information Assistants with five years regular service in the grade.	A Director from Central Silk Board	-Chairman;	Not applicable.
			Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such	2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board	-Member;	
			qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board.	-Member.	

	Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7
21. Senior Statistician	1* (2015) * Subject to variation dependent on work load	Group B, Non- Ministerial	Pay band-2 Rs.9300- 34800 plus grade pay of Rs.4600	Non- selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12		13
Not applicable	Not applicable	By promotion	Promotion: From among the Statisticians with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	1. A Director from Central Silk Board 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration & Accounts) from Central Silk Board	-Chairman; -Member; -Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
22. Assistant Superintendent (Administration).	235* * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300- 34800 plus grade pay of Rs.4200.	Non-selection for direct recruits).	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Bachelor's Degree from a recognised University and having five years experience in Accounts or Administration in a Government Department, Public Sector Undertaking or registered Company. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

8	9	10	11	12		13	
Not applicable	9 Two years	Seventy-five per cent. by promotion; and twenty-five	Promotion: From among the Upper Division Clerks with ten years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st	1. A Director from Central Silk Board 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board	-Chairman; -Member; -Member.	-	-Chairman; -Member; -Member.
			January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where				

	there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7
23.Stenographer	* Subject to variation dependent on work load.	Group B, Ministrial	Pay band-2 34800 plus grade pay of Rs.4200.	Non-selection for direct recruits).	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	(i) Bachelor's Degree from a recognised University and having five years experience in a Government Department or Public Sector Undertaking or registered Company. (ii) Skill Test Norms: Dictation: Ten minutes at the rate of hundred and twenty words per minute. Transcription (on Computer): Seventy five minutes (English) Ninety five minutes (Hindi) (iii) Skill Test shall be conducted only on Computer. Note: The particular language (that is English or Hindi) in which the skill test shall be conducted shall be specified each time a vacancy is notified. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12		13	
Not applicable.	Two years.	Seventy- five per cent. by promotion; and twenty-five	Promotion: From among the Stenographers Grade-II with ten years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next	1. A Director from Central Silk Board 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration)	-Chairman; -Member; -Member.	1. A Director from Central Silk Board 2. A Joint Director from outside Central Silk Board 3. A Deputy Director from Central Silk Board	-Chairman;

	the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
24. Assistant (Publicity).	1* * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Nono- Ministrial	Pay band-2, Rs. 9300- 34800 plus grade pay of Rs.4200.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Bachelor's Degree from a recognised University in Journalism or Bachelor's Degree from a recognised University with Diploma in Journalism from a recognised Institute or University. Desirable: (i) Two years experience in writing of articles or publications or printing or proof reading or editing in a Government Department or public sector undertaking or Registered Compay. (ii) Computer knowledge. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13	
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	A Director from Central Silk Board A Joint Director from outside Central Silk Board A Deputy Director from Central Silk Board	-Chairman; -Member; -Member.

1	2	3	4	5	6	7
25. Junior Translator (Hindi).	10* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non- Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300- 34800 plus grade pay of Rs.4200.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Master's Degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level; OR Master's Degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level; OR Master's Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level; OR Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; OR Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; AND Diploma or Certificate course from a recognized Institute or University in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government Department or Public Sector Undertaking or Autonomous body. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13	
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	A Director from Central Silk Board A Joint Director from outside Central Silk Board A Deputy Director from Central Silk Board	-Chairman; -Member; -Member.

1	2	3	4	5	6	7
26. Library and Information Assistant	5* * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non- Ministerial	Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs.4200.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Essential: (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute. (ii) Two years professional experience in a Library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution. Desirable: Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13	
	Two	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	A Director from Central Silk Board A Joint Director from outside Central Silk Board A Deputy Director from Central Silk Board	-Chairman; -Member; -Member.

1	2	3	4	5	6	7
27. Statistician.	5* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non- Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300- 34800 plus grade pay of Rs.4200.	Non- selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12		13
Not applicable.	Two years.	By promotion.	Promotion: From among the Statistical Assistants with six years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	1. A Director from Central Silk Board 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board	-Chairman; -Member; -Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
28.*Senior	1*	Group B,	Pay	Not	Not exceeding 30 years	Master's Degree in Social Science from a
Research	* Subject	Non-	band-2	applicable.	(relaxable for	recognised University.
Science).	to	Ministerial			Government servants	Note 1: Qualifications are relaxable at the
	variation		34800		upto five years in	discretion of the Central Government in the case
	dependent		plus		accordance with the	of candidates otherwise well qualified.
	on		grade		instructions or orders	Note 2: The qualification regarding experience
	work load.		pay of		issued by the Central	is relaxable at the discretion of the Central
			Rs.4200.		Government).	Government in the case of candidates belonging
					Note:	to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes
					The crucial date for	if at any stage of selection the Central
					determining the age	Government is of the opinion that sufficient
					limit shall be the	number of candidates from these communities
					closing date for receipt	possessing the requisite experience are not likely
					of applications from	to be available to fill up the vacancies reserved for them.
					candidates in India (and	for them.
					not the closing date	
					prescribed for those in	
					Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh.	
					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	
					Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh	
					Division of Jammu and	
					Kashmir State, Lahaul	
					and Spiti District and	
					Pangi Sub-division of	
					Chamba District of	
					Himachal Pradesh, the	
					Union territory of the	
					Andaman and Nicobar	
					Islands or the Union	
					territory of	
					Lakshadweep).	
					-	

^{*} This post stands phased out from the date the incumbent officiating against the post quits the post or service

8	9	10	11	12	13	
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	A Director from Central Silk Board A Joint Director from outside Central Silk Board A Deputy Director from Central Silk Board	-Chairman; -Member;

1	2	3	4	5	6	7
29. Junior Engineer.	26* * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non- Ministerial	Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs.4200.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Three year Diploma from a recognised Institute in Mechanical or Electrical or Refrigeration or Sanitary Engineering. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13	
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	A Director from Central Silk Board A Joint Director from outside Central Silk Board A Deputy Director from Central Silk Board	-Chairman; -Member; -Member.

1	2	3	4	5	6	7
30. Senior Artist.	4* * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non- Ministerial	Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs.4200.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).	Essential: Bachelor's Degree in Fine Arts in Applied or Commercial Arts from a recognised University (Minimum three year Course). Desirable: 1. Practical knowledge of publication designing softwares like Coral draw, Adobe Pagemaker, Photoshop, etc. 2. Knowledge of print and electronic media, computer aided designing, illustration and graphics, advertising and photography. 3. Three years experience in a registered publishing house or advertising agency in the areas of Commercial Designing, Graphic Designing, and Layout making. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13	
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	A Director from Central Silk Board A Joint Director from outside Central Silk Board A Deputy Director from Central Silk Board	-Chairman; -Member; -Member.

1	2	3	4	5	6	7
31. Staff Car Driver (Special Grade).	11* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non- Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300- 34800 plus grade pay of Rs.4200.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12		13
Not applicable.	Two years.	By promotion.	Promotion: From among the Staff Car Drivers (Grade-I) with three years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	1. A Director from Central Silk Board 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board	Chairman;	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
32. Statistic	cal 2*(2015)	Group C,	Pay	Not	Between 18 and 25	Essential:
Assistant.	* Subject	Non-	band-1	applicable.	years (relaxable for	Bachelor's Degree in Statistics from a recognized
	to	Ministerial	Rs.		Government servants	University.
	variation		5200-		upto 40 years in the	Desirable : Working knowledge in Computerised
	dependent		20200		case of general	Statistical applications.
	on		plus		candidates and up to	
	work		grade		45 years in the case of	Note 1: Qualifications are relaxable at the
	load.		pay of		candidates belonging	discretion of the Central Government in the case
			Rs.2800.		to the Schedule	of candidates otherwise well qualified.
					Castes or the	Note 2: The qualification regarding experience
					Schedule Tribes in	is relaxable at the discretion of the Central
					accordance with the instructions or orders	Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes
					issued by the Central	if at any stage of selection the Central
					Government).	Government is of the opinion that sufficient
					Government).	number of candidates from these communities
						possessing the requisite experience are not likely
					Note:	to be available to fill up the vacancies reserved
					The crucial date for	for them.
					determining the age	101 1101111
					limit shall be the	
					closing date for	
					receipt of applications	
					from candidates in India (and not the	
					closing date	
					prescribed for those in	
					Assam, Meghalaya,	
					Arunachal Pradesh,	
					Mizoram, Manipur,	
					Nagaland, Tripura,	
					Sikkim, Ladakh	
					Division of Jammu	
					and Kashmir State,	
1	ļ	I		l	ĺ	

		Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).					
--	--	---	--	--	--	--	--

8	9	10	11	12	13	
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	1. A Joint Director from Central Silk Board 2. A Joint Director from outside Central Silk Board 3. A Deputy Director from Central Silk Board	-Chairman; -Member; -Member.

1	2	3	4	5	6	7
33. Staff Car Driver (Grade-I).	88* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non- Ministerial.	Pay band-1 Rs.5200- 20200 plus grade pay of Rs.2800.	Non- selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12		13
Not	Not	Ву	Promotion:	A Director	-Chairman;	Not applicable.
applicable.	applicable.	promotion.	From among the Staff Car Drivers	from		• •
		_	(Grade-II) with six years regular service	Central Silk Board		
			in the grade or with a combined service	A Joint	-Member;	
			of fifteen years in Staff Car Driver	Director or		
			Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary	Deputy Director		
			Grade); and have passed the trade test,	from outside		
			specified by the Government.	Central Silk Board	-Member.	
			Note 1: Where juniors who have	A Joint	-Member.	
			completed their qualifying or eligibility	Director		
			service are being considered for	(Administration)		
			promotion, their seniors shall also be	or Deputy Director		
			considered provided they are not short	(Administration and		
			of the requisite qualifying or eligibility	Accounts) from		
			service by more than half of such	Central Silk Board		
			qualifying or eligibility service or two			
			years, whichever is less, and have			
			successfully completed their probation			
			period for promotion to the next higher			
			grade along with their juniors who have			
			already completed such qualifying or			
			eligibility service.			
			Note 2: For the purpose of computing			
			minimum qualifying service for			
			promotion, the service rendered on a			
			regular basis by an officer prior to 1st			
			January, 2006 or the date from which			
			the revised pay structure based on the			
			recommendations of the Sixth Central			
			Pay Commission has been extended,			
			shall be deemed to be service rendered			
			in the corresponding grade pay or pay			
			scale extended based on the			
			recommendations of the said Pay			
			Commission except where there has			
			been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade			
I			revised scale of pay fillo one grade			

	with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
34. Upper Division Clerk.	234* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Ministerial.	Pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2400.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).	Bachelor's Degree from a recognised University, with a speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi Typewriting (thirty-five words per minute and thirty words per minute correspond to ten thousand five hundred key depressions per hour or nine thousand key depressions per hour on an average of five key depressions for each word). (Time allowed - Ten minutes). Note: (a) Typing test shall be conducted only on computer. (b) The particular language (that is English or Hindi) in which Typewriting test shall be conducted shall be specified each time a vacancy is notified. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13	
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	A Joint Director from Central Silk Board A Joint Director from outside Central Silk Board A Deputy Director from Central Silk Board	-Chairman; -Member; -Member.

1	2	3	4	5	6	7
35. Stenographer (Grade-II)	* Subject to variation dependent on work load.	Group C,	Pay band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs.2400.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	(i) Bachelor's Degree from a recognized University. (ii) Skill Test Norms: Dictation: Ten minutes at the rate of eighty words per minute. Transcription (on Computer): Fifty minutes (English) Sixty-five minutes (Hindi). (iii) Skill Test shall be conducted only on Computer. Note: The particular language that is English or Hindi in which the skill test shall be conducted shall be specified each time a vacancy is notified. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13	
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	A Joint Director from Central Silk Board A Joint Director from outside Central Silk Board A Deputy Director from Central Silk Board	-Chairman; -Member; -Member.

1	2	3	4	5	6	7
36. Staff Car Driver (Grade-II).	75* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non- Ministerial.	Pay band-1 Rs.5200- 20200 plus grade pay of Rs.2400.	Non- selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12		13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: From among the Staff Car Drivers (Ordinary Grade) with nine years regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 ^{xt} January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	1. A Director from Central Silk Board 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board	-Chairman; -Member; -Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
37. * Lower Division Clerk	68* * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non- Ministerial	Pay band-1 Rs. 5200- 20200 plus grade pay of Rs.1900.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in	12th class pass from a recognised Board or University, with a speed of thiry-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi Typewriting (thirty-five words per minute and thirty words per minute correspond to ten thousand five hundred key depressions per hour or nine thousand key depressions per hour on an average of five key depressions for each word). (Time allowed - Ten minutes). Note: (a) Typing test shall be conducted only on computer. (b) The particular language that is English or Hindi in which Typewriting test shall be conducted shall be sepecified each time a vancancy is notified. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities

					Arunachal Mizoram, Nagaland, Sikkim, Division and Kashr Lahaul a District an Sub-divisio Chamba Himachal I Union terr Andaman Nicobar	Manipur, Tripura, Ladakh of Jammu mir State, and Spiti nd Pangi on of District of Pradesh, the itory of the and Islands or territory of	possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
--	--	--	--	--	--	---	--

^{*} This cadre stands phased out from the date the incumbents officiating against the post are either promoted or otherwise quit the post or service and the resultant vacancies stand upgraded as Upper Division Clerk.

8	9	10	11	12	13	
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	A Joint Director from Central Silk Board A Joint Director from outside Central Silk Board A Deputy Director from Central Silk Board	-Chairman; -Member; -Member.

1	2	3	4	5	6	7
38. Staff Car Driver (ordinary Grade)	*Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non- Ministerial	Pay band-1 Rs. 5200- 20200 plus grade pay of Rs.1900.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Essential: (i) Possessing a valid driving licence for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (the candidates should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; (iv) Pass in Tenth Standard from a recognized Board. Desirable: (i) Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13	
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	A Joint Director from Central Silk Board A Motor Vehicle	-Chairman;
					Inspector from Regional Transport Office	-Member;
				3. A Deputy Director from Central Silk Board	-Member.	

1	2	3	4	5	6	7
39. Cook.	7* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non- Ministerial.	Pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1900.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Diploma from a recognised Institute in Catering with three years experience in cooking of Indian or Continental Dishes in hostel or canteen or guest house of Central or State Governments or Public Sector undertaking or registered hotel. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13	
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	A Joint Director from Central Silk Board A Joint Director from outside Central Silk Board A Deputy Director from Central Silk Board	-Chairman; -Member; -Member.

1	2	3	4	5	6	7
40. Technician.	27* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non- Ministerial.	Pay band-1 Rs.5200- 20200 plus grade pay of Rs.1900.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12		13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: From among the Assistant Technicians with three years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	1. A Director from Central Silk Board 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board	-Member; -Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
41. Assistant Technician.	193* * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non- Ministerial	Pay band-1 Rs. 5200- 20200 plus grade pay of Rs.1800.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Industrial Technical Institue Certificate from a recognised Institute. Note: The relevant field in which Industrial Technical Institue Certificate is required shall be specified each time a vacancy is notified. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely

			Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	to be available to fill up the vacancies reserved for them.
--	--	--	---	---

8	9	10	11	12	13	
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	A Joint Director from Central Silk Board A Joint Director from outside Central Silk Board A Deputy Director from Central Silk Board	-Chairman; -Member; -Member.

1	2	3	4	5	6	7
42. Multi- tasking Staff.	663* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non- Ministerial.	Pay band-1 Rs.5200- 20200 plus grade pay of Rs.1800.	Not applicable.	Between 18 and 25 years. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Matriculation pass from a recognised Board or Industrial Training Institute pass Certificate from a recognised Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13	
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	A Joint Director from Central Silk Board A Joint Director from outside Central Silk Board	-Chairman;
					3. A Deputy Director from Central Silk Board	-Member.

[F. No.25012/9/2002-Silk]

SITARAM GUPTA, Under Secy.